Ce

order Sheet [Contd]

90季0 82 / 14-5PZ

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

12-11-16 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनेष्ठ यंत्री सालानपुर्वा सहित उनके अधिवक्ता श्री जिनात कार्यका उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री के 1-4000 है। उप० / आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्यु विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत धारा 152 विद्युत अभिनयम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल/मेगा लोकअदालत के मान से व समन शुल्क जमा किया जा चुका है। अत्एव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य होने से उसके आलोक में आरोपी पक्ष को दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखाग्रार भेजा जावे।

HEFU TO 1 SA MOCHO BUT CSO EFT. A

डी०सी०थेपिलयाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०—19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद जिला भिण्ड

et gang atteres

49H4 30 2

मयलासि

OSE MUI

who have the same of the same